रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 106] नई दिल्ली, शनिवार, जून 20, 2009/ज्येष्ठ 30, 1931
No. 106] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 20, 2009/JYAISTHA 30, 1931

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 17 जून, 2009

सं. टीएएमपी/36/2005-सीएचपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48, 49 और 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्द्वारा संलग्न आदेशानुसार, चेन्नई पत्तन न्यास में मौजूदा दरमान की वैधता को विस्तारित करता है ।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला सं. टीएएमपी/36/2005-सीएचपीटी

आदेश

(जून, 2009 के 17वें दिन पारित)

यह मामला चेन्नई पत्तन न्यास (सीएचपीटी) के मौजूदा दरमान की वैधता विस्तारित से संबंधित है ।

2. 7 मार्च, 2009 को यह प्राधिकरण अपने आदेश संख्या टीएएमपी/36/2005-सीएचपीटी के द्वारा सीएचपीटी के पिछले मौजूदा दरमान की वैधता को अनुमोदित किया था । 30 मार्च, 2006 को आदेश के साथ दरमान को भी भारत का राजपत्र में प्रकाशित किया गया था । राजपत्र सं. 51 को देखें । 31 मार्च, 2008 तक अनुमोदित दरमान की वैधता निर्धारित की गयी थी । यह प्राधिकरण अपने पिछले आदेश दिनांक 12 फरवरी, 2009 के द्वारा मौजूदा दरमान की वैधता को 30 जून, 2009 तक विस्तारित कर चुका है। जो भारत का राजपत्र में 24 फरवरी, 2009 को सूचित किया गया है । राजपत्र सं. 25 को देखें ।

3. सीएचपीटी अपने दरमान में सामान्य संशोधन करने के लिए प्रस्ताव दाखिल कर चुका है। प्रस्ताव से प्रकट होने वाली विविध मुद्दाओं पर निवेदित अतिरिक्त सूचनाओं/स्पष्टीकरण सीएचपीटी से अभी तक प्रतीक्षित है। प्राधिकरण मामला को अंतिम निर्णय देने तक निर्णायक सोच-विचार के लिए कुछ समय और लेगा ।

4. चूंकि 30 जून, 2009 तक मौजूदा प्रशुल्क की वैधता समाप्त होती है। प्राधिकरण सीएचपीटी के मौजूदा प्रशुल्क की वैधता को 30 सितम्बर, 2009 तक विस्तारित करता है। अथवा सीएचपीटी के द्वारा दाखिल प्रशुल्क प्रस्ताव के निर्णायक निपटान तक, जो भी पहले हों ।

5. 1 अप्रैल, 2008 के बाद यदि स्वीकार्य लागत और अनुमत प्रतिलाभ से कोई अतिरिक्त अधिशेष प्रकट होता है तो उसे निर्धारित प्रशुल्क से पूर्णतः समायोजित किया जायेगा ।

ब्रह्म दत्त, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/4/143/09-असा.]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai, the 17th June, 2009

No. TAMP/36/2005-CHPT.— In exercise of the Powers conferred under Sections 48, 49 and 50 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby extends the validity of the existing Scale of Rates at the Chennai Port Trust as in the Order appended hereto.

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

Case No. TAMP/36/2005-CHPT

ORDER

(Passed on this 17th day of June, 2009)

This case relates to the extension of the validity of the existing Scale of Rates of the Chennai Port Trust (CHPT).

2. The existing Scale of Rates (SOR) of the CHPT was last approved by this Authority vide Order No. TAMP/36/2005-CHPT dated 7th March, 2006. The Order alongwith the SOR was published in the Gazette of India on 30th March, 2006 *vide* Gazette No. 51. The validity of the approved SOR was prescribed till 31st March, 2008. Subsequently, this Authority has last extended the validity till 30th June, 2009 *vide* Order dated 12th February, 2009, which is notified in the Gazette of India on 24th February, 2009 *vide* Gazette No. 25.

3. The CHPT has filed its proposal for revision of its SOR. Additional information/clarifications requested on various points emerging from the proposal are still awaited from the CHPT. It may take some more time for the case to mature for final consideration of this Authority.

4. Since the validity of the existing SOR is to expire on 30th June, 2009, this Authority extends the validity of the existing SOR of the CHPT till 30th September, 2009 or till final disposal of the tariff proposal filed by CHPT, whichever is earlier.

5. Additional surplus, if any, over and above the admissible cost and permissible return for the period post 1st April, 2008 will be adjusted fully in the tariff to be determined.

BRAHM DUTT, Chairman

[ADVT III/4/143/09-Exty.]

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.